न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी), शिवगंज, जिला सिरोही

बइजलास शकुन्तला चौधरी, आर0ए0एस0

वादीयां		प्रतिवादीगण
बबलेश कुंवर पत्नी भरेपालसिंह जाति राजपूत निवासी देवली, तहसील शिवगंज जिला सिरोही	बनाम	1. शंकरलाल पुत्र पुनाजी जाति मीणा निवासी देवली, तहसील शिवगंज जिला सिरोही 2. राज0 सरकार जरिये तह0 शिवगंज

वादी अधिवक्ता श्री दिनेश जोशी

प्रतिवादी अधिवक्ता श्री राजकुमारचितारा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

राजस्व वाद संख्यां– 86/2019

: निर्णय :

दिनांक 19.07.2024

उक्त प्रकरण कें संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीयां के स्वामित्व व खातेदारी की कृषि आराजी गांव देवली पटवार हल्का बडगांव तहसील शिवगंज में खसरा नंबर 246/109 किस्म जोड द्वितीय जोड प्रथम कुल क्षेत्रफल 10 बीघा आई हुई स्थित हैं। उपरोक्त कृषि भूमि को वाद पत्र में आगे वादग्रस्त कृषि भूमि के नाम से संबोधित किया जायेगा। वादीयां की कृषि भूमि खसरा नंबर 246/109 के पश्चिमी दिशा की तरफ आम रास्ता खसरा नंबर 51 आया हुआ स्थित हैं। उक्त आम रास्ता वादीयां की कृषि भूमि से लगता हुआ नाणा, बेडा, चामुण्डेरी गांवों की तरफ जाता हैं। प्रतिवादी सं. एक शंकरलाल वादीयां की उक्त कृषि भूमि के पश्चिम दिशा की तरफ स्थित रास्ता खसरा नं 51 के आगे स्थित कृषि भूमि खसरा नं 50 का खातेदार हैं। वादीयां राजपूत समाज की पर्दानशीन महिला हैं। वादीयां के परिवार में दिनांक 16.04.2019 को शादी समारोह था। प्रतिवादी संख्या एक शंकरलाल ने वादीयां के पर्दानशीन महिला होने तथा शादी समारोह में व्यस्त होने का फायदा उठाकर दिनांक 16.04.2019 को सुबह करीब 11 बजे वादीयां की कृषि भूमि खसरा नंबर 246/109 के पश्चिम दिशा की तरफ आम रास्ता खसरा नंबर 51 की माठ के तरफ करीब 2 बीघा कृषि भूमि पर अनाधिकृत प्रवेश कर उस पर कब्जा कर लिया। प्रतिवादी सं एक शंकरलाल ने वादीयां की उक्त कृषि भूमि पर सीमेंट की ईंटें डलवाकर एक कच्चा कमरा भी बना दिया। प्रतिवादी सं एक ने आम रास्ता खसरा नं 51 पर भी अवैध रूप से कब्जा कर लिया है तथा आम रास्ते को बंद कर दिया हैं। वादीयां के ससुर किशन जी को उक्त घटना की सूचना मिलने पर वादीयां के ससुर दिनांक 20.04.2019 को शांम करीब 4 बजे उक्त कृषि भूमि पर गये तथा प्रतिवादी सं. एक शंकरलाल को निर्माण कार्य करने तथा कब्जा करने से रोका तो प्रतिवादी सं. 1 एकदम आग बबुला हो गया तथा वादीयां के ससुर को गाली गलौच करने लगा तथा संपूर्ण कृषि भूमि पर कब्जा करने की धमकी दी। वादीयां के ससुर ने प्रतिवादी सं. एक को काफी समझाया परंतु उन्होने उनपर झुठे एस.टी. एस.सी के मुकदमें दर्ज करवाने की धमकी दी। वादीयां के ससुर ने उक्त घटना की रिपोर्ट दिनांक 20.04.2019 को पुलिस थाना शिवगंज में दी थी तथा एक रिपोर्ट श्रीमान पुलिस अधिक्षक महोदय को भी दी थी। जिसके पश्चात वादीयां ने प्रतिवादी सं. एक के विरूद्ध अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शिवगंज की अदालत में धारा 379,431,447,427,504,506 भारतीय दण्ड संहिता का परिवाद पेश किया, जो पुलिस थाना शिवगंज में अनुसंधान हेतु लंबित हैं। प्रतिवादी सं. एक ने अवैध निर्माण व कब्जा को वाद पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में मा[illegible] बी., सी से दर्शित किया हैं। उक्त अतिक्रमण के संबंध में एक शिकायत तहसीलदार [illegible] व उपखण्ड अधिकारी महोदय शिवगंज को भी की थी। जिस पर [illegible] मौका मिरीक्षण रिपोर्ट पटवार हल्का बडगांव से मांगी, तब पटवार हल्का बडगांव द्वारा वादीयां की खातेदारी कृषि [illegible] खसरा नंबर 246/109 व रास्ते की भूमि खसरा नंबर 51 की पै[illegible]श व नाप किया, जिसमें स्पष्ट रूप से प्रतिवादी सं. एक का अवैध अतिक्रमण व निर्माण खसरा नंबर 246/109 व खसरा नंबर 51 में होना पाया गया। जिस कारण प्रतिवादी सं. एक के उक्त अवैध अतिक्रमण को हटाया जाना आवश्यक हैं एवं वादीयां को उक्त आराजी का कब्जा पुनः दिलाया जाना आवश्यक हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2024.09.04 10:45:33 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर शिवगंज (सिरोही)

प्र.सं. 86/2019
बबलेश कुंवर बनाम शंकरलाल
अ.धारा. 183,188 आर.टी.एक्ट

वादीयां का वाद दर्ज रजिस्टर होकर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी हुए। दिनांक 03.10.2019 को प्रतिवादी सं. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री चुन्नीलाल मीणा ने वकालतनामा पेश किया व जवाब हेतु समय चाहा। प्रतिवादी सं. 1 की ओर से दिनांक 07.11.2019 को जवाब पेश किया गया। दिनांक 16.01.2020 को स्टेट की ओर से जवाब पेश नहीं किये जाने से उनका जवाब बंद किया गया व दिनांक 06.02.2020 को पत्रावली में तनकीयात कायम की गई। दिनांक 13.08.2020 को वादी द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया। दिनांक 08.10.2020 को साक्ष्य वादी जिरह की गई व वादी अधिवक्ता द्वारा और साक्ष्य पेश नहीं करने से वादी साक्ष्य बंद की गई। दिनांक 10.12.2020 को प्रतिवादी शंकरलाल व हीराराम का शपथ पत्र पेश किया। दिनांक 13.01.2021 को उभय पक्षकारान द्वारा मौका कमिश्नर नियुक्त करने हेतु निवेदन किया, जिसे स्वीकार कर भू. अ.निरीक्षक शिवगंज को कमिश्नर रिपोर्ट पेश करने हेतु निर्देशित किया गया। दिनांक 20.12.2022 को तहसीलदार शिवगंज ने मौका कमिश्नर रिपोर्ट पेश की। दिनांक 06.01.2023 को प्रतिवादी सं. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री राजकुमार चितारा ने वकालतनामा पेश किया। दिनांक 14.06.2024 को प्रतिवादी अधिवक्ता प्रतिवादी साक्ष्य पेश नहीं करने से प्रतिवादी साक्ष्य बंद की गई। दिनांक 25.06.2024 को वादी अधिवक्ता ने रिबटल साक्ष्य हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 148, 151 सी.पी.सी पेश किया, जिसे स्वीकार किया जाकर गवाह के रूप से श्री किशन सिंह के बयान लिये गये तथा साक्ष्य बंद की गई। दिनांक 19.07.2024 को उभय वकील पक्षकारान की अंतिम बहस सुनी गई।

–: आदेश :–

हमनें पत्रावली का अवलोकन, संलग्न दस्तावेजों, तहसीलदार शिवगंज रिपोर्ट एवं प्रस्तुत बहस पर मनन किया तो पाया कि वादीयां की खातेदारी कृषि भूमि मौजा देवली पटवार क्षेत्र बडगांव तहसील शिवगंज में खसरा नम्बर 246/109 रकबा 10.00 बीघा स्थित है। वादीयां व प्रतिवादीगण के बीच में खसरा नंबर 51 रकबा 1.2141 हैक्टेयर किस्म रास्ता ग्राम पंचायत बडगांव के नाम से दर्ज हैं एवं मौके पर खसरा नंबर 51 के कुल रकबा में से 0.10 हैक्टेयर भूमि पर व वादीया की भूमि के खसरा नंबर 246/109 के कुल रकबा में से 0.20 हैक्टेयर भूमि पर श्री शंकरलाल पुत्र पुनाजी जाति मीणा ने कब्जा कर रखा है। जिससे यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी सं0 1 ने वादीया की खातेदारी भूमि व ग्राम पंचायत के खाते में दर्ज रास्ते की भूमि पर भी अतिक्रमण कर रखा है।

अतः प्रस्तुत राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 183,188 आर.टी.एक्ट विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार जाकर उक्त विवादित आराजी पर से प्रतिवादी एक को खसरा नं0 246/109 पर 0.20 हैक्टेयर भूमि से शांतिपूर्वक बेदखल किये जाने हेतु तहसीलदार शिवगंज को निर्देशित किया जाता है एवं रास्ते की भूमि पर प्रतिवादी सं. 1 द्वारा किये गये अतिक्रमण को सीमाज्ञान कर भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नियमानुसार कार्यवाही कर 30 दिनों के भीतर सार्वजनिक सरकारी रास्ते से अतिक्रमी को बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं। आदेश खुले न्यायालय सुनाया गया।

यह निर्णय व आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से दिनांक 19.07.2024 को जारी किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2024.09.04 10:55:33 IST
Reason: SelfAttested

(शकुन्तला अग्रवाल)
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
शिवगंज
सहायक कलक्टर शिवगंज (सिरोही)

क्रमांक/कोर्ट/2024/415
दिनांक 19.07.2024

प्रतिलिपिः–
तहसीलदार शिवगंज को पालनार्थ प्रेषित है।

सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)
शिवगंज
सहायक कलक्टर शिवगंज (सिरोही)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी शिवगंज (राजस्थान)